

## TEC AS TEST & CERTIFICATION AGENCY FOR CAS & SMS

*Designation of the Testing and Certification Agency for Conditional Access System (CAS) and Subscriber Management Systems (SMS) under sub-regulation (1) of regulation 4A of the Telecommunication (Broadcasting and Cable) Services Interconnection (Addressable Systems) Regulations, 2017.*

The Telecom Regulatory Authority of India ("Authority"), established under sub-section (1) of section 3 of the Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997 (24 of 1997) ("TRAI Act"), has been entrusted to discharge certain functions, inter-alia, to regulate the telecommunication services; lay-down the standards of quality of service to be provided by the service providers and ensure the quality of service and conduct the periodical survey of such service provided by the service providers so as to protect interest of the consumers of telecommunication service;

The Central Government, in the Ministry of Communications and Information Technology (Department of Telecommunications), vide its Notification No. 39, ---

- issued, in exercise of the powers conferred upon it by proviso to clause(k) of sub-section (1) of section 2 of the TRAI Act, and
- published under notification No. S.O. 44 (E) dated 9th January, 2004 in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3- sub-section (ii) ---

has notified broadcasting services and cable services to be telecommunication service;

The Authority notified a new regulatory framework for Broadcasting and Cable TV services provided through addressable systems, encompassing the following:

- the Telecommunication (Broadcasting and Cable)



Telecom Regulatory Authority of India

*TRAI has appointed TEC (under DoT) as the overall in charge for Test & Certification Of CAS & SMS systems used in Indian CATV Networks.*

## सीएस व एसएमएस के लिए टेस्ट व प्रमाणन एजेंसी के रूप में टीईएस

दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवा इंटरकनेक्शन (एड्रेसेबल सिस्टम) विनियम, 2017 के विनियम 4ए के उप-विनियम (1) के तहत कंडीशनल एक्सेस सिस्टम (सीएस) और सबक्राइवर मैनेजमेंट सिस्टम (एसएमएस) के लिए परीक्षण और प्रमाणन एजेंसी के रूप में नियुक्त किया है।

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (प्राधिकरण), जिसे भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (1997 का 24) (ट्राई अधिनियम) की धारा-3 की उप-धारा (1) के तहत स्थापित किया गया है, को दूरसंचार सेवाओं को विनियमित करने के लिए अन्य बातों के साथ-साथ कुछ कार्यों के निर्वहन करने के लिए सौंपा गया है: सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा की गुणवत्ता के मानकों को निर्धारित करना और सेवा की गुणवत्ता सुनिश्चित करना और सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रदान की जाने वाली ऐसी सेवा की गुणवत्ता सुनिश्चित करना और सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रदान की जाने वाली ऐसी सेवा का आवधिक सर्वेक्षण करना, ताकि दूरसंचार सेवा के उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा हो सके।

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (दूरसंचार विभाग) में केंद्र सरकार ने अपनी अधिसूचना संख्या 39 के तहत -

- जारी, ट्राई अधिनियम की धारा 2 की उप-धारा (1) के खंड (के) के प्रावधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और
- भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3-उप-खंड (2) में अधिसूचना संख्या एस.ओ. 44 (ई) दिनांक 9 जनवरी 2004 के तहत प्रकाशित-

ने प्रसारण सेवाओं और केबल सेवाओं को दूरसंचार सेवा के रूप में अधिसूचित किया है।

प्राधिकरण ने एड्रेसेबल सिस्टम के माध्यम से प्रदान की जाने वाली प्रसारण और केबल टीवी सेवाओं के लिए एक नया नियामक ढांचा अधिसूचित किया, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:

Services (Eighth)(Addressable Systems) Tariff Order, 2017 dated 3rd March, 2017;

- (b) the Telecommunication (Broadcasting and Cable) Services Interconnection (Addressable Systems) Regulations, 2017 dated 3rd March, 2017 (hereinafter referred as Interconnection Regulations, 2017); and
- (c) the Telecommunication (Broadcasting and Cable) Services Standards of Quality of Service and Consumer Protection (Addressable Systems) Regulations, 2017 dated 3rd March, 2017;

The Authority has notified The Telecommunication (Broadcasting and Cable) Services Interconnection (Addressable Systems) (Third Amendment) Regulations, 2021 on 11th June, 2021 and incorporated new regulation 4A and Schedule IX in the Interconnection Regulations, 2017;

Sub-regulation (1) of the newly inserted regulation 4A provides, inter alia, that every distributor of television channel shall, from such date and after such testing and certification, as may be specified by the Authority by order, deploy such conditional access system and subscriber management system which conform to the requirements as specified in the Schedule IX;

Therefore, the Authority, in exercise of its power under sub-regulation (1) of regulation 4A of the Telecommunication (Broadcasting and Cable) Services Interconnection (Addressable Systems) Regulations, 2017, **hereby designates Telecommunication Engineering Centre, Department of Telecommunication, Government of India, as a Testing and Certification Agency, which shall:-**

- (a) carry out overall administration, coordination and execution of **testing and certification of Conditional Access System (CAS) and Subscriber Management System (SMS)** as per the requirements specified in Schedule IX of the Interconnection Regulations 2017;
- (b) notify and maintain Test Schedules and Test Procedures (TSTP) in relation to the requirements specified under schedule IX;
- (c) **empanel/ declare the list of accredited testing labs that fulfil the requirements for carrying out the testing as per the defined Test Schedules and Test Procedures (TSTP);**
- (d) **provide Certification for all products tested and certified by the accredited testing labs;** and
- (e) maintain the version and deployment details of Conditional Access System (CAS) and Subscriber Management System (SMS) deployed in India. ■



(ए) दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवायें (आठवां) (एड्रेसेबल सिस्टम) टैरिफ आदेश, 2017 दिनांक 3 मार्च 2017

(बी) दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवायें इंटरकनेक्शन (एड्रेसेबल सिस्टम) विनियम, 2017 दिनांक 3 मार्च 2017 (इसके बाद इंटरकनेक्शन विनियम, 2017 के रूप में संदर्भित), और

(सी) दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवा की गुणवत्ता के मानक और उपभोक्ता संरक्षण (एड्रेसेबल सिस्टम) विनियम, 2017 दिनांक 3 मार्च 2017

प्राधिकरण ने 11 जून 2021 को दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवा इंटरकनेक्शन (एड्रेसेबल सिस्टम) (तीसरा संशोधन) विनियम 2021 को अधिसूचित किया है और इंटरकनेक्शन विनियम 2017 में नये विनियम 4ए और अनुसूची IX को शामिल किया है

नये सम्मिलित किये गये विनियम 4ए के उप-विनियम (1) में अन्य बातों के साथ-साथ प्रावधान है कि टेलीविजन चैनल का प्रत्येक वितरक, ऐसी तारीख से और ऐसे परीक्षण और प्रमाणन के बाद, जैसाकि प्राधिकरण द्वारा आदेश द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है, ऐसी कंडिशनल एक्सेस सिस्टम को स्थापित करेगा और ग्राहक प्रबंधन प्रणाली, जो अनुसूची IX में निर्दिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप है,

इसलिए, प्राधिकरण, दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवा इंटरकनेक्शन (एड्रेसेबल सिस्टम) विनियम, 2017 के विनियम 4ए के उप-विनियम (1) के तहत अपनी शक्ति का उपयोग करते हुए, **दूरसंचार इंजीनियरिंग केंद्र, दूरसंचार विभाग, भारत सरकार को एक परीक्षण और प्रमाणन एजेंसी के रूप में नामित करता है, जो:**

(ए) इंटरकनेक्शन विनियम 2017 की अनुसूची IX में निर्दिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार **कंडीशनल एक्सेस सिस्टम (सीएसएस) और सबक्राइबर मैनेजमेंट सिस्टम (एसएमएस) के परीक्षण और प्रमाणन** का समग्र प्रशासन, समन्वय और निष्पादन करेगा।

(बी) अनुसूची IX के तहत निर्दिष्ट आवश्यकताओं के संबंध में परीक्षण अनुसूचियों और परीक्षण प्रक्रियाओं (टीएसटीपी) को अधिसूचित और बनाये रखना,

(सी) **परिभाषित परीक्षण अनुसूचियों और परीक्षण प्रक्रियाओं (टीएसटीपी) के अनुसार परीक्षण करने के लिए आवश्यकताओं को पूरा करने वाली मान्यता प्राप्त परीक्षण प्रयोगशालाओं की सूची को घोषित करे।**

(डी) मान्यता प्राप्त परीक्षण प्रयोगशालाओं द्वारा परीक्षण और प्रमाणित सभी उत्पादों के लिए प्रमाणन प्रदान करें, और

(ई) भारत में स्थापित किये गये कंडिशनल एक्सेस सिस्टम (सीएसएस) और सबक्राइबर मैनेजमेंट सिस्टम (एसएमएस) के संस्करण और परिणियोजन विवरण को बनाये रखें। ■